5- अचल सम्पत्ति का विनिमय–पत्र

अचल सम्पत्ति के विनिमय का यह विलेख आज दिनांक .... को अ... . पुत्र श्री व...... आयु .... निवासी ....जो इस विलेख में प्रथम पक्षकार है ग... पुत्र श्री घ... आयु .... एवं निवासी .... जो इस विलेख में द्वितीय पक्षकार के बीच तहसील..............जनपद.......... में निष्पादित किया गया है।

चूँकि प्रथम पक्ष के स्वामित्व एवं कब्जे का एक आवासीय /औद्योगिक/व्यावसायिक भूखण्ड/अचल सम्पत्ति ....संख्या .... क्षेत्रफल .... जो .... तहसील .... जिला .... में स्थित है। प्रथम पक्ष उक्त भूमि का मालिक है, जो उसे उप निबन्धक कार्यालय में पंजीकृत विलेख संख्या–... दिनांक.. /विरासत (जो लागू नहीं है, उसे काट दें) द्वारा प्राप्त हुआ है।

इसी प्रकार द्वितीय पक्ष के स्वामित्व एवं कब्जे का एक आवासीय /औद्योगिक/व्यावसायिक भूखण्ड/अचल सम्पत्ति नम्बर ....क्षेत्रफल .... जो .... तहसील .... जिला .... में स्थित है। द्वितीय पक्ष उक्त कृषि भूमि का मालिक है, जो उसे उप निबन्धक कार्यालय में पंजीकृत विलेख संख्या–... दिनांक.. /विरासत (जो लागू नहीं है,

उसे काट दें) द्वारा प्राप्त हुआ है। हम दोनों पक्षकारान अपने स्वामित्व के उपरोक्त भूखण्ड/अचल सम्पत्ति का सुविधा की दृष्टि से एवं क्षेत्रफल एवं कीमत लगभग समान होने के कारण परस्पर सहमति के आधार पर विनिमय करने के इच्छुक हैं, जिसके साक्ष्य स्वरूप यह विलेख निष्पादित करते है। अतएव यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि :–

(1) उक्त विलेख में अंकित पक्षकारों ने आपसी विनिमय में एक दूसरे की भूमि की अदला–बदली कर ली है जो सभी प्रकार के भारों एवं अभिभारों से मुक्त है।

(2) एतदद्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त दोनों पक्षकार विनिमय द्वारा अन्तरित की गई सम्पत्तियों के पूर्णरूपेण स्वामी एवं अधिपति होंगे तथा कोई पक्षकार एक दूसरे के लिये बाधक न होगा।

(3) यदि किसी सम्मत्ति के सम्बन्ध में विनिमय से पूर्व का कोई राजकीय कर अथवा किसी किस्म का अधिभार दस्तावेज निष्पादन पश्चात् देय निकलता है तो उस सम्पत्ति के विनियम से पूर्व के स्वामी एवं अधिपति वह धनराशि अदा करने के दायित्वाधीन होगा। अतः यह विनिमय पत्र निम्नलिखित साक्षीगणों की उपस्थिति में उनके समक्ष निष्पादत एवं हस्ताक्षरित किया जाता है।

अनुसूची अचल सम्पत्तियों का विवरण

हस्ताक्षर

प्रथम पक्षकार

द्वितीय पक्षकार

साक्षीगण नाम, पिता का नाम व पता :–

(1)

(2)